

O/o Collector & District Magnistrate, Ajmer (Raj.)

No.: CA/Gen/NGT/2022/ 8599

Dated: 20/07/2022

To,
The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
Delhi.

Sub : **Joint Inspection report of the Committee.**

Ref : **Hon'ble NGT order dated 20.05.2022 in O.A. No. 356/2022.**

Sir,

With due respect, it is our honor to submit joint inspection report of the Committee constituted by Hon'ble NGT in the matter of 356/2022, Babu Lal & Others V/s State of Rajasthan & Others . The Joint inspection was carried out on dated 28/06/2022 by the following members:-

1. Shri Alok Kumar Jain, Protocol Officer, Nominee of District Collector, Ajmer, District- Ajmer (Raj.) (Nodal Officer)
2. Sh Pushendra Singh, Mining Engineer, Ajmer (Raj.)
3. Shri Deepak Tanwar, Executive Environmental Engineer and Regional Officer, RSPCB, Kishangarh, Ajmer (Raj).

Attached herewith is the Joint inspection report (04 Pages) and Annexures (10 Nos).

Thanking You.

Yours Sincerely,



Alok Kumar Jain
Protocol Officer,
Nominee of District Collector, Ajmer
[Nodal Officer]

O/o Collector & District Magnistrate, Ajmer (Raj.)

No.: CA/Gen/NGT/2022/

Dated:

To,
The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
Delhi.

Sub : Joint Inspection report of the Committee.

Ref : Hon'ble NGT order dated 20.05.2022 in O.A. No. 356/2022.

Sir,

With due respect, it is our honor to submit joint inspection report of the Committee constituted by Hon'ble NGT in the matter of 356/2022, Babu Lal & Others V/s State of Rajasthan & Others . The Joint inspection was carried out on dated 28/06/2022 by the following members:-

1. Shri Alok Kumar Jain, Protocol Officer, Nominee of District Collector, Ajmer, District- Ajmer (Raj.) (Nodal Officer)
2. Sh Pushendra Singh, Mining Engineer, Ajmer (Raj.)
3. Shri Deepak Tanwar, Executive Environmental Engineer and Regional Officer, RSPCB, Kishangarh, Ajmer (Raj).

Attached herewith is the Joint inspection report (04 Pages) and Annexures (10 Nos).

Thanking You.

Yours Sincerely,



Alok Kumar Jain

Protocol Officer,
Nominee of District Collector, Ajmer
[Nodal Officer]

Joint Inspection Report of the Committee

Submitted in Reference to

Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench,

order dated 20-05-2022 in the Matter of

Original Application No. 356/2022 (By V.C)

Babu Lal & Others

Versus

State of Rajasthan & Others

Member of the committee

1. Shri Alok Kumar Jain, Protocol Officer, Nominee of District Collector, Ajmer, District- Ajmer (Raj.) (Nodal Officer)
2. Shri Pushpendra Singh, Mining Engineer, Ajmer (Raj.)
3. Shri Deepak Tanwar, EE & Regional Officer, RSPCB, Kishangarh.

Joint Inspection Report of the Committee

In compliance of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Principal Bench, New Delhi, order dated 20.05.2022, in the matter of Original Application No. 356/2022, Babu Lal & Others versus State of Rajasthan and others, the committee of following 03 members constituted by District Collector-Ajmer vide letter no. 43 dated 01.06.2022 [Annexure-1], visited the site i.e. Village-Nizampura, Tehsil- Nasirabad, District-Ajmer on 28.06.2022 to record the factual situation and actions required to be taken:

1. Shri Alok Kumar Jain, Protocol Officer, Nominee of District Collector, Ajmer, District- Ajmer (Raj.) (Nodal Officer)
2. Shri Pushpendra Singh, Mining Engineer, Ajmer (Raj.)
3. Shri Deepak Tanwar, EE & Regional Officer, RSPCB, Kishangarh.

As per the order of Hon'ble NGT, the committee verified the factual status on these following issues: -

1. Verification of Khasra No. 1126, 1123, 1133, 1132, 1131 and 1130 located at Village- Nizampura, Tehsil- Nasirabad, District-Ajmer, Rajasthan.
2. Verification of illegal mining on the above said land.
3. Depth of mining pits created due to illegal mining.
4. Encroachment on charagahah and siwaychak land in Khasra No. 1055, 1056, 964 and 966 Village- Nizampura, Tehsil- Nasirabad, District-Ajmer, Rajasthan, where pits have been dug out and stones thrown.

Field Observations:-

- A. No complaints have been received in Mining Engineer's office, Ajmer regarding illegal mining activities within Khasra no. 1126, 1123, 1133, 1132, 1131, 1130 Village Nizampura, Tehsil- Nasirabad, District- Ajmer. Instead, complaint was received for Khasra No.1126 [Annexure-2]. No illegal minning was observed in Khasra No. 1126 observed during verification by Mining Department dated 29.04.2022 [Annexure-3].
- B. Mining Engineer, Ajmer vide verification report dated 28.06.2022, reported the following:[Annexure-4]

aj.

an

aj

1. No illegal mining was observed in Khasra No. 1126, Village-Nizampura, Tehsil- Nasirabad, District- Ajmer. One room was found constructed over there.
 2. A mining pit of size 65 feet * 40 feet was found with depth of approximately 15-20 feet AGL was observed in Khasra No. 1123, Village- Nizampura, Tehsil- Nasirabad, District- Ajmer. Soil/ overburden from the same pit has been excavated and was utilised for making boundary of the agricultural field.
 3. A mining pit of size 30 feet * 23 feet was found with depth of approximately 10-05 feet AGL on common boundary line of Khasra No. 1133 & 1132, Village-Nizampura, Tehsil- Nasirabad, District- Ajmer Soil/ overburden from the same pit has been excavated and was utilised for making boundary of the agricultural field.
 4. No excavation/ mining of soil/ overburden was observed in Khasra no. 1131 and 1130, Village-Nizampura, Tehsil- Nasirabad, District- Ajmer.
 5. The Khasra no. 1055, 1056, 966 & 964 were also verified by ME Ajmer and it was observed that mining lease no. 44/2009 located in Khasra No. 964 is a sanctioned mining lease in the name of Khushboo Sen D/o Shri Champa Lal Sen which is presently operative. No illegal mining activities were observed in Khasra No. 1056, 966 and 1055. No overburden was observed in Khasra no. 1056 and 1055. Although overburden was stacked on the boundary of the land of Khasra No. 1056 & 966 and the same has been referred to as the encroachment found on Khasra No. 1056& 966, which was verified by the joint committee on dated 28.06.2022.
 6. Notice was issued by Mining Department, Ajmer vide letter dated 12.07.2022 to the lessee to remove the dumped overburden from the said Khasra no. 1056& 966 [Khasra No.5].
- C. Following have been reported by the Tehsildar, Nasirabad vide letter dated 14.07.2022& 15.07.2022[Annexure-06& 07]:-
1. Out of a total of 1602 Khasra in village - Nizampura, Tehsil- Nasirabad, District-Ajmer 34 number of Khasras has been recorded in the revenue records in the name of Shri Champalal Sen and his successors. Total

aj.

an tje


- land of 7.0275 hectares of land out of 497.53 hectares has been allotted in revenue records to Shri Champalal Sen and his successors.
2. Complaint regarding encroachment on Charagahah land and Siwayachak land by Shri Champa Lal Sen and his successors was found true during joint verification dated 28.06.2022.
 3. Nayab Tehsildar, Nasirabad vide letters dated 20.05.2022, 08.06.2022[Annexure-08& 09] has informed that the encroachment was due to the overburden stacked on Khasra no. 1056 & 966 which has been removed completely which was verified on 13.07.2022[Annexure- 6 &10].

Conclusions:-

1. No excavation of soil and dumping of overburden was observed in Khasra No. 1126, 1130 & 1131 owned by Shri Champa Lal Sen and his Successors.
2. Soil/ overburden was excavated & overburden was dumped on the common boundary of Khasra No. 1132 & 1133 and on the boundary of Khasra No. 1123. Depth of the observed mining pits was about 10-15 feet instead of 100 feet as mentioned by complainant.
3. No soil/ overburden was excavated in Khasra No. 1055, 1056 & 966. However, overburden was found stacked on boundary of Khasra No. 1056 & 966.
4. After notice from Nayab Tehsildar, Nasirabad, overburden from Khasra No. 1056 & 966 has been removed.
5. Presently, there is no obstacle/ encroachment on the pathways and any of the Charagahah/ Siwaychak land of Village- Nizampura, Tehsil- Nasirabad, District- Ajmer.
6. No illegal mining of minerals was observed in any of the Khasras as reported by the complainant.


Alok Kumar Jain,
Protocol Officer,
Nominee of District
Collector, Ajmer


Pushpendra Singh,
Mining Engineer,
Ajmer


Deepak Tanwar,
EE & Regional Officer,
RSPCB, Kishangarh, District- Ajmer

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक: कअ/सामान्य/2022/ 43

दिनांक: 01/06/22

Deepak Janwar

आदेश

SO(KS)
SO(HK)

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा मूल प्रार्थना पत्र संख्या 356/2022. बाबूलाल व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.05.2022 की पालना में निम्नानुसार संयुक्त कमेटी का गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. प्रोटोकॉल अधिकारी | जिला कलक्टर के प्रतिनिधि |
| 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर | सदस्य |
| 3. क्षेत्रीय अधि., राज. राज्य प्रदू. नियन्त्रण मण्डल किशनगढ़ | सदस्य सचिव |

उक्त कमेटी संयुक्त रूप से प्रकरण में ली गई शिकायत की जांच कर अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट 15 दिवस में इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।

संलग्न - शिकायत व पारित आदेश की प्रति

Aunh

(अंश दीप)

जिला कलक्टर, अजमेर

क्रमांक: कअ/सामान्य/2022/ 6200- 6204
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक: 01/06/22

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर
- प्रोटोकॉल अधिकारी, अजमेर
- क्षेत्रीय अधिकारी, राज. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, किशनगढ़
- अति. निजी सचिव, जिला कलक्टर, अजमेर
- आदेश पत्रावली

Aunh

अति. जिला कलक्टर, अजमेर

धीमान अतिरिक्त निवेशक महोदय,
(खाने) खान एवं इ-विमान विभाग,
जमपुर, ई-डी, जमपुर।

विषय - मेरी खातेदारी धूमि खसरा नं० 1071,
1970, 1181, 1124, 1125 एवं 1127 में
धीमान के द्वारा भेजा पत्र जारी करने
के उपरान्त धूमि विष्णुमारा पत्नी
श्री चम्पालाल के द्वारा अशुभ नं०
1126 में मेरी खातेदारी की मेर पर
कमरा निर्माण को करवाने का वक।

महोदयजी,

उपरोक्त विधानांतरित निवेदन है कि मेरे पिता
खातेदारी धूमि पट दि 24/01/2019 में आन लाईट मारुत
पत्र लॉगिन के पश्चात दि 24/01/2019 को अतिरिक्त कार्य देना
अज्ञेय के द्वारा पत्नारी की उपस्थिति में डिमार्शन
करने के उपरान्त धूमि धूमि अविभाजित अज्ञेय के
कामलिप आदेश नं० 705 दि 08/7/2019 को धूमि
के पास प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसकी अनुपालना में
धीमान के कामलिप आदेश नं० 705 दि 08/7/2019 को धूमि
खान पं० 2/2019 दि 17/07/2019 के द्वारा भेजा पत्र जारी
कर दिया गया एवं धूमि धूमि के आदेशों की पालना
में निम्न शर्तों की पालना करने के लिए निर्देशित किया
गया। मेरे द्वारा उक्त पालना करी गई। किन्तु अर्थात्
स्वीकृति के लिए आवेदन मेरे द्वारा 2019 में ही कर दिया
गया। किन्तु महोदय जी (एक) में आने के कारण वक
काट जन पुनर्वाई भी हो गई एवं किन्तु परमेश्वर धूमि
कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के कारण ए.सी. नं०
विचारणीय चल रही है।
मेरी धूमि धूमि (ले निवेदन है कि धूमि धूमि के
कामलिप द्वारा भेजा पत्र जारी होने के उपरान्त भी मेरे
वक भी भेज पट कमरा बनवाकर अपने परेशान करने की
निमत प्रतीत होती है। अतः उक्त आवेदन निर्माण में अविभाजित
करवाने के आदेश एवं धूमि धूमि, अज्ञेय को जारी करने
की कृपा करें।

19/2/25
6/12/24

ack.
Comment
on time
G-C
6/1/24

धूमि
धूमि
पदम चमरा
विकास कार्य धूमि
M.L नं० 2/2019
पता: B-19 सुल्हा 171 (ए.सी. नं०)
जमपुर जमपुर


राजस्थान सरकार

कार्यालय रानि, रागियाँ, जयपुर

भौवा रिपोर्ट

आज दिनांक 29/4/2012 को कार्यालयपत्रांक-सूअ/अज) रूप 02/2019/1398 की पालना में खतनपट्टा सं० 02/2019 वाले खनिज बवर्तन फौलदार निकल गाम निजामपुरा तहसीर खनिज बवर्तन जयपुर जेकि श्री यदुमचन्द जैन के पक्ष में स्वीकृत है के भौवा पर पहुँचे। इस खनिजधारी के शीमान (ADM (खान) जयपुर से समस्त शिवालय पेश कि है कि इनके खनिजधारी खनिजधारी भूमि खसरा सं० 1031, 1030, 1181, 1124, 1125, व 1129 में भौवा पर जारी है के पास के खोरे पर खसरा सं० 1126 में श्री यदुमचन्द जैन द्वारा जमारे का निगार्ष का काम जा रहा है जिसे रोकवारे का फल बाखे। भौवा पर निरिक्षण के दौरान शिवालय कर्त खनिजधारी के खतनपट्टा सं० 02/2019 की पूरी दिशा में खनिजधारी भूमि खसरा सं० 1126 है जेकि श्री जिनमे खतन को सीमा को लकने डूरे खसरा खसरा हुआ है। जहाँ पर खसरा डायर, डायर कामप्रेसर जारी मशीन जिनी। भौवा इन्फि र यंत्रिदार ने बताया कि यह कामरा व मशीने श्री यदुमचन्द जैन कि राजसू के है जोकि इनकी खतन सं० 54/2009 पर काम करते है व खसरी काम में इस जमारे पर खसरे कर सकते है व यह कामरा खान में मशीनों की खसरा के काम जा रहा है।

भौवा रिपोर्ट वाले सूचनाय पेश है।



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, अजमेर
मौका निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 28.06.2022 को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक-कअ/सागान्य/2022/7481-83 दिनांक 24.06.2022 की पालना में माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली के मुल प्रार्थना पत्र संख्या 356/2022 में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा ग्राम निजामपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर पहुंच कर उक्त प्रार्थना पत्र के विन्दु संख्या 1 में वर्णित खसरों का निरीक्षण प्रारम्भ किया गया। मौके पर उक्त खसरे जो कि शिकायत में वर्णित है, कि स्थिति हल्का पटवारी निजामपुरा द्वारा बताई गई, इसके दौरान निम्नानुसार स्थिति पाई गई-

मौके पर खसरा संख्या 1126 में एक कमरा बना मिला एवं उक्त खसरे में कोई अवैध खनन नहीं मिला।

मौके पर खसरा संख्या 1123 में एक पुराना पिट मिला, जो कि 65 फीट गुणा 40 फीट क्षेत्र में है, वो लगभग 15-20 फीट गहराई में है। मौके पर उक्त पिट से मलबा निकाला जाकर खेत की मेड़बन्दी में डाला जाना पाया गया एवं उसमें से कोई उपयोगी खनिज नहीं निकाला गया है। वक्त निरीक्षण मौके पर कोई खनिज का स्टॉक किया हुआ नहीं मिला।

मौके पर खसरा संख्या 1133 व 1132 में एक पुराना पिट मिला, जो कि उक्त खसरे की कॉमन लाईन पर है, जिसका नाप 30 फीट गुणा 23 फीट व गहराई 10-5 फीट है। मौके पर उक्त पिट में से मिट्टी मलबा निकाला जाकर खेत की मेड़बन्दी की गई है व उस पिट में से कोई उपयोगी खनिज नहीं निकाला है व वक्त निरीक्षण मौके पर कोई उपयोगी खनिज का स्टॉक नहीं मिला।

मौके पर खसरा संख्या 1131 में से कोई खनिज पिट नहीं मिला, ना ही कोई मलबा डाला हुआ मिला।

मौके पर खसरा संख्या 1130 में कोई खनन पिट नहीं मिला, ना ही कोई मलबा डाला हुआ मिला।

मौके पर खसरा संख्या 1056 में कोई खनन पिट नहीं मिला, परन्तु नेडों पर मलबा डालकर कब्जा किया हुआ मिला।


मौके पर खसरा संख्या 1055 में कोई खनन पिट नहीं मिला, ना ही कोई कब्जा किया हुआ नहीं मिला।


मौके पर खसरा संख्या 964 खनन पट्टा संख्या 44/2009 में आता है, जहा पर खनिज व मलबा पड़ा है।

मौके पर खसरा संख्या 966 में कोई खनन पिट नहीं मिला, परन्तु मलबा पड़ा हुआ मिला।

मौके पर खसरा संख्या 1123, 1131 व 1130 में बने मिले पुराने पिटों में से मिट्टी, मलबा, पत्थर जो निकाले है, जिनका मेड़ में उपयोग किया है। इसकी मौके पर खातेदार के पास कोई अनुमति नहीं होना पाया गया है, जिसके संबंध में खातेदार को संबंधित विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जावेगा। मौके पर उपरोक्त खड्डों की खनन पट्टा संख्या 44/2009 से दूरी लगभग 100 मीटर पर है।

मौके पर रिपोर्ट बनाकर हस्ताक्षर किये गये।




ME AJMER

राजस्थान सरकार

कार्यालय खास अतिरिक्त अजमेर

मौदा निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 28/6/2022 को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्र क्रमांक - कडा सामान/2022/ 7481-83 दिनांक 24/6/2022 की परामर्श में माननीय NGA प्रिंसिपल लेच नई दिल्ली के मूल प्रार्थना पत्र संख्या 356/2022 में बतारे संयुक्त कमेटी द्वारा प्राप्त निजामपुरा तहसील नसीरबाद जिला अजमेर पहुँच कर डबल प्रार्थना पत्र के विन्दु सं. 01 में बतारे खसरो का निरीक्षण प्रारम्भ किया गया। मौदे पर डबल खसरे जैके शिकायत हमें बतारे है कि स्थिती हल्का पखारी निजामपुरा इका जैके बरि वसने दोबारा निम्नानुसार स्थिती पाई गई है :-

मौदे पर खसरा सं. 1126 में एक कमरा बना हुआ मिला एवं डबल खसरे में कोई उपभोग खसरा नही मिला।

मौदे पर खसरा सं. 1123 में एक पुराना पिट मिला जैके 65 फिट गुंथा 40 फिट क्षेत्र में है जो लगभग 15-20 फिट गहराई में है। मौदे पर डबल पिट में मलबा निकाला जाकर खसरे की मेड़वनी में प्रला जाना पाया गया है एवं उसने से कोई उपभोगी खसरा नही निकाला गया है। डबल खसरे निरीक्षण मौदे पर कोई खसरा का स्टॉक किया हुआ नही मिला।

मौदे पर खसरा संख्या 1133 व 1132 में एक पुराना पिट मिला जैके डबल खसरे की कॉमन लॉक में पर है जिसका माप 30' फिट गुंथा 23 फिट ल गहराई 10-5 फिट है। मौदे पर डबल पिट में से मिट्टी मलबा निकाला जाकर खसरे की मेड़वनी की गई

है व इस पिट में से कोई उपयोगी खनिज नहीं निकाला गया है
व ऊपर निरिक्षण सीके पर कोई उपयोगी खनिज का स्थैक नहीं
मिला।

सीके पर खसरा सं. 1131 में से कोई खनिज पिट नहीं मिला
जहाँ से कोई मलबा डाला हुआ मिला।

सीके पर खसरा सं. 1130 में से कोई खनिज पिट नहीं मिला
जहाँ से कोई मलबा डाला हुआ मिला।

सीके पर खसरा सं. 1056 में कोई खनिज पिट नहीं मिला परंतु
में से पर मलबा डालकर कब्जा किया हुआ मिला।


सीके पर खसरा सं. 1055 में कोई खनिज पिट नहीं मिला
जहाँ से कोई कब्जा किया हुआ मिला।

सीके पर खसरा सं. 964 खनिज पट्टा सं. 44/2009 में डाला
है जहाँ पर खनिज व मलबा पड़ा है।

सीके पर खसरा सं. 966 में कोई खनिज पिट नहीं मिला परंतु
में से पर मलबा डालकर पड़ा है।

सीके पर खसरा सं. 1123, 1131 व 1130 में खनिज मिले हुए
पिटों में से मिट्टी, मलबा, पत्थर जो निकाले हैं उनको भेजे
के उपयोग किया है। इसकी सीके पर खनिज पट्टा के पास
कोई उपयोगी नहीं होना पाया गया। जिसके संबंध में
खनिज पट्टा को संबंधित विभाग की ओर से क्वॉरिंटि जारी किया
जावेगा। सीके पर उपरोक्त खनिज पट्टा सं. 44/2009
में डूरी खनिज पट्टा है।

सीके पर रिपोर्ट बनाकर हस्ताक्षर किये गये।


28/4/2020
M. S. J. S.

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग अजमेर।

क्रमांक:-खअ/अज/खप. 44/2009/291

दिनांक- 12.07.2022

प्रेषित:-

खुशबू सेन पुत्री श्री चम्पालाल सेन,
निवासी-ई-65, चन्द्र नगर, ब्यावर रोड़,
जिला अजमेर।

विषय:- खनन् पट्टा संख्या 44/2009 वास्ते खनिज क्वार्टज, फैल्सपार निकट ग्राम
निजामपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक 7481-83 दिनांक 24.06.2022 की पालना में माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली के मूल प्रार्थना पत्र संख्या 356/2022 में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 28.06.2022 को खनन् पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। जिसमें खसरा संख्या 966 एवं 1056 के मेड़ों पर मलबा डाला जा रहा है। जो कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 34(2)(v) का उल्लंघन है। रिकॉर्ड अनुसार उक्त खसरा संख्या 966 एवं 1056 आपके स्वीकृत खनन् पट्टा क्षेत्र के खसरो में नहीं पड़ता है।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त मलबे को नियमानुसार निर्धारित ढेर स्थल पर डाला जावे। आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि में भी यदि उक्त दोष का निराकरण नहीं किया जाता है, तो अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सो सूचित रहे।

भवदीय

खनि अभियन्ता अजमेर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर

क्रमांक/राजस्व/2022/1677

दिनांक: 14-7-2022

निमित्त:-

श्रीमान अति० जिला कलक्टर महोदय,
अजमेर।

विषय:- माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली के मूल प्रार्थना पत्र संख्या 356/2022 में संयुक्त कमेटी के निरीक्षण बाबत।
प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक 1657 दिनांक 06.07.2022 के क्रम में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में पटवारी हल्का निजामपुरा द्वारा मौके व राजस्व रेकॉर्ड अनुसार भौतिक रूप से जाँच की जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं न्यायालय नायब तहसीलदार नसीराबाद द्वारा भी मौके की जाँच की गई जिनका विवरण विन्दुवार निम्नानुसार है-

1. ग्राम निजामपुरा में कुल खसरा किता 1602 कुल रकबा 497.53 हैक्ट भूमि उपलब्ध है। जिसमें से खसरा किता 34 कुल रकबा 7.54 में से 7.0275 हैक्ट भूमि श्री चम्पालाल सेन व उनके उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है।
2. प्रकरण में ग्राम निजामपुरा क आराजी खसरा न० 966 सिवायचक 1056 चारागाह भूमि के आंशिक भाग पर पूर्व में पटवारी हल्का द्वारा मलबा पत्थर डालकर अतिक्रमण किया जाने से अवगत कराया गया था। जिसमें नियमानुसार धारा 91 की कार्यवाही के तहत अतिचारी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पेशी दिनांक 13.07.2022 नियत की गई थी। नियत पेशी दिनांक 13.07.2022 को अतिचारी द्वारा स्वयं अपने स्तर से अतिक्रमण हटाया जाना अवगत कराया गया जिसके सत्यापन हेतु न्यायालय मय पटवारी हल्का निजामपुरा उक्त दिनांक को ही मौका निरीक्षण किया गया। मौके अनुसार मलबा व पत्थर हटा लिये गये है तथा मौके पर पशु चराये जा रहे है। चूंकि अतिचारी द्वारा सिवायचक व चारागाह भूमि पर सम्बत् 2079 में अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होने से अतिचारी पर अतिक्रमित भूमि की लगान राशि का 50 गुणा शास्ति आरोपित की जाकर परिवाद का निस्तारण किया गया। वर्तमान में उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है।
3. ग्राम निजामपुरा के आराजी खसरा न० 966, 1055, 1056 पर कोई गड्डा नहीं है तथा खसरा न० 964 (सिवायचक) रकबा 4.62 हैक्ट भूमि के सम्बंध में कार्यालय खनिज अभियन्ता, अजमेर द्वारा श्रीमति खुशबू सेन के पक्ष में खनन पट्टा जारी किया गया है।
4. ग्राम निजामपुरा से उक्त लीज क्षेत्र एवं चारागाह क्षेत्र में से जाने वाले रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं है। वर्तमान में रास्ता मौके पर चालु है जिसमें से सुचारु रूप से आवागमन हो रहा है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।




संलग्न:- 1. मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 13.07.2022।



2...मौके के रंगीन फोटोग्राफ।

3...मलबा पत्थर हटाने के फोटोग्राफ।



14/7/2022
तहसीलदार नसीराबाद





ग्राम निजामपुरा ग्रामीणों द्वारा खसरा नंबर 1056 चारागाह भूमि एवं खसरा नंबर 966 सिवायचक भूमि की मेड पर डलवाये गये मलबे को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए का छाया चित्र, वर्तमान मे उक्त 1056 चरागाह भूमि एवं खसरा नंबर 966 सिवायचक भूमि की मेड पर किसी प्रकार का मलबा नहीं है।



ग्राम निजामपुरा ग्रामीणों द्वारा खसरा नंबर 1056 चारागाह भूमि एवं खसरा नंबर 966 सिवायचक भूमि की मेड पर डलवाये गये मलबे को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए का छाया चित्र वर्तमान मे उक्त 1056 चरागाह भूमि एवं खसरा नंबर 966 सिवायचक भूमि की मेड पर किसी प्रकार का मलबा नहीं है।



ग्राम निजामपुरा ग्रामीणों द्वारा खसरा नंबर 1056 चारागाह भूमि एवं खसरा नंबर 966 सिवायचक भूमि की मेड पर डलवाये गये मलबे को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए का छाया चित्र वर्तमान मे उक्त 1056 चरागाह भूमि एवं खसरा नंबर 966 सिवायचक भूमि की मेड पर किसी प्रकार का मलबा नहीं है।



ग्राम निजामपुरा ग्रामीणों द्वारा खसरा नंबर 1056 चारागाह भूमि एवं खसरा नंबर 966 सिवायचक भूमि की मेड पर डलवाये गये मलबे को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए का छाया चित्र वर्तमान मे उक्त 1056 चरागाह भूमि एवं खसरा नंबर 966 सिवायचक भूमि की मेड पर किसी प्रकार का मलबा नहीं है।



राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर

क्रमांक / राजस्व / 2022 / 1684

दिनांक: 15/7/2022

निमित्त:-

श्रीमान अति० जिला कलक्टर महोदय,
अजमेर।विषय:- ग्राम निजामपुरा के खातेदारी खसरा न० 1126, 1123, 1130, 1131, 1132, 1133
की मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत।प्रसंग:- माननीय एनजीटी प्रिसिपल बैंच नई दिल्ली के मूल प्रार्थना पत्र संख्या 356/2022
में संयुक्त कमेटी के निरीक्षण एवं श्रीमान द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशों के
क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम निजामपुरा में आरिथत भूमि खसरा न० 1126, 1123, 1130, 1131, 1132, 1133 की जॉच नायब तहसीलदार नसीराबाद व पटवारी हल्का निजामपुरा द्वारा मौके व राजस्व रेकॉर्ड अनुसार की गई जो निम्नानुसार है-

1. खसरा न० 1126 रकबा 0.32 हैक्ट भूमि राजस्व रेकॉर्ड में विष्णुकांता पत्नि चम्पालाल नाई के नाम दर्ज है। जिसमें मौके पर ग्वार की काश्त की गई है तथा 4.25x 6.25 वर्गमीटर क्षेत्र में एक कोटरी बनी हुई है जिस पर विद्युत कनेक्शन है।
2. खसरा न० 1123 रकबा 0.79 हैक्ट भूमि राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार खुशबू पुत्री श्री चम्पालाल नाई के नाम दर्ज है। जिस पर मौके पर पुराना गड्डा बना हुआ है तथा वर्तमान में पानी भरा हुआ है। पुछताछ में बताया कि उक्त गड्डे में से मिट्टी खोदकर खेत की मेड पर डाली गई थी। मौके पर खनन के कोई अवशेष नहीं मिले है।
3. खसरा न० 1130 रकबा 0.14 हैक्ट व खसरा न० 1131 रकबा 0.14 हैक्ट भूमि श्री चम्पालाल पुत्र मदनलाल जाति सेन के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। जो मौके पर रिक्त है।
4. खसरा न० 1132 रकबा 0.16 हैक्ट भूमि श्री चम्पालाल पुत्र श्री मदनलाल जाति सेन के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है व खसरा न० 1133 रकबा 0.24 हैक्ट भूमि विष्णुकांता पत्नि श्री चम्पालाल सेन के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त दोनो खसरों में सम्मिलित 32 x 30 कुल 960 वर्गफीट का गड्डा बना हुआ है। जो लगभग 10 से 5 फीट गहराई का है। जिसमें आंशिक रूप से पानी भरा हुआ है। पुछताछ में बताया कि उक्त गड्डे में से मिट्टी खोदकर खेत की मेड पर डाली गई थी। मौके पर खनन के कोई अवशेष नहीं मिले है।

अतः उक्त खसरा नम्बरों की भूमि में वर्तमान में किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न:- मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का।

15/7/2022
तहसीलदार नसीराबाद

मौजा पंचा

आज दिनांक 15.7.2022 को श्रीमान् लक्ष्मीनंदन राय नसीरबाद के अधीन आदेशानुसार हमारा नामक लक्ष्मीनंदन नसीरबाद के साथ ग्राम निजामपुरा में स्थित धाराजी खसरा नं. 1126, 1123, 1130, 1131, 1132, 1133 का मालका देखा गया। खसरा नं. 1126 रुबका 0.32 राजस्व रिकार्ड में विष्णुनाता पति चम्पामाल नाई के नाम दर्ज है जिसमें मौजे पर ग्वार नाशत है फ.प. 25x6.25 कोटरी बनी है जिस पर विद्युत कनेक्शन है। खसरा नं. 1123 रुबका 0.79 राजस्व रिकार्ड में सुराबु पुत्री चम्पामाल नाई के नाम दर्ज है जिस पर मौजे पर पुराना बड़ा गड्ढा है जिसमें पानी भरा है (फोटोग्राफ संलग्न) खसरा नं. 1130 रुबका 0.14 राजस्व रिकार्ड में चम्पामाल पुत्र मदनलाल सेन के नाम है जो मौजे पर स्थित है। खसरा नं. 1131 रुबका 0.14 चम्पामाल पुत्र मदनलाल पति सेन के नाम दर्ज है जो मौजे पर स्थित है। खसरा नं. 1132 रुबका 0.16 चम्पामाल पुत्र मदनलाल सेन के नाम है व खसरा नं. 1133 रुबका 0.24 विष्णुनाता पति चम्पामाल सेन के नाम दर्ज है। खसरा नं. 1132 व 1133 में (नं) 32 व (पं) 30 = 960 वर्ग फीट का त्रैफुजनागडा बना है। जिसमें आंशिक रूप से पानी भरा है। मौजे पर जनक ग्राम नहीं हो रहा है। मौजा पंचाई मौजे पर बनाया, व पट्टर सुनाया व इस्ताफार कराया।

by श्रीमान् लक्ष्मीनंदन राय
 15/7/22

(Signature)
 N.T. NSD

Filed
 15.7.2022

प्रारूप "क"
(देखिये नियम)

राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन

न्यायालय नायब तहसीलदार, नसीराबाद (अजमेर)

नोटिस

प्रकरण संख्या 02 सन् 2022

सरकार पटवार हल्का निजामपुरा बनाम श्री खुशबू सैन D/0
पुत्री श्री चम्पालाल सैन जाति सैन निवासी राजगढ़
आपने कृषि वर्ष 2079 के दौरान नसीराबाद तहसील के ग्राम निजामपुरा
खसरा नं. 1056, 966 के अनाधिकृत सरकारी भूमि जो
नाप में 0.75, 0.50 मलबा-पटवार है पर अतिचार किया है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 23.05.22 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 23.05.22 को 10 बजे पूर्वाह्न तहसील नसीराबाद हाजिर होवे तथा वह हेतुक दर्शित करें कि आपको यहाँ से बेदखल क्यों न कर दिया जाय आपसे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि वर्ष 2079 के दौरान अतिचार करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुना तक शापित क्यों न अधिरोपित किया जाय।

यह और ध्यान रखें कि आपने इसी भूमि पर कृषि वर्ष में भी अतिचार किया था। यह नोटिस आपको 2079 वर्ष के मसूदातबन्ती अतिचार करने के बाबत दिया जा रहा है। आपसे यह हेतुक दर्शित करने को कि आपको 3 माह तक की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार सुपुर्द कर दिया जावे तथा लगान का 50 गुना तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित कर दिया जाये।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख समय तथा न्याय न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उक्त मामला

में निर्णित किया जावेगा।

20-05-22 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



नायब तहसीलदार
नसीराबाद, जिला-अजमेर

रिपोर्ट पटवारी

निहा २३२

सेवा में,
श्रीमान् तहसीलदार साहब,
तहसील ~~महाराष्ट्र~~

02/2022

शाब्द

20/5/22

निवेदन है कि जिम्नांकित व्यक्ति ने उनके आगे लिखे नम्बरान् सिवाय चक पर अनधिकृत कब्जा काशत किया है, इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही फ.माई जावे।

प्रदायी, वलियत, कोमियत व उकूनत	संवत्	खसरा नम्बर	कुल रकबा	किस्म जमीन	गरह लगान	नाजायज कब्जा		लगान	कंफियत
						रकबा	जिम्मा		
२३२७ मवा -अमानान सन निहाज ग ६	2021	1054	0.75	क.३	२	0.75	(अपका- पटपर)	1.5	2500
		966	1.67	क.३	२	0.50		1.00	1000

उपरोक्त प्रदायी के खातेदारी में रकबा चाही— वारानी— दोगर— गुन वर्तमान में मौजूद है, इस रकबे में वह रकबा शामिल है, जिस पर राजस्थान दिनेश्री एक्ट, 1955 की धारा 15/19 के तहत खातेदारी हकूक प्राप्त हुए हैं।

Handwritten signature and date: 20.5.22
तहसीलदार पटवारी

रा. गु. जो 147-12-1,00,000 प्र.

दिनांक.....

प्रारूप "क"
(देखिये नियम)

राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन
न्यायालय नायब तहसीलदार, नसीराबाद (अजमेर)

नोटिस

प्रकरण संख्या 02 सन् 2022

सरकार परवार हल्का निजामपुरा बनाम श्री रुक्मिणी सेन 01/0
पुत्र श्री चम्पालाल जाति सेन निवासी राजगढ़
आपने कृषि वर्ष 2079 के दौरान नसीराबाद तहसील के ग्राम निजामपुरा
खसरा नं. 1056, 968 के अनाधिकृत सरकारी भूमि जो
नाप में 0.75, 0.50 (मलबा पत्थर) है पर अतिचार किया है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 29.06.22 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दें अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 29.06.22 को 10 बजे पूर्वाह्न तह नसीराबाद हाजिर होवे तथा वह हेतुक दर्शित करें कि आपको यहाँ से बेदखल क्यों न कर दिया जाय आपसे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि वर्ष 2079 के दौरान अतिचार करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुना तक शापित क्यों न अधिरोपित किया जाय।

यह और ध्यान रखें कि आपने इसी भूमि पर कृषि वर्ष में भी अतिचार किया था। यह नोटिस आपको 2079 वर्ष के पश्चात्तर्वर्ती अतिचार करने के बावत दिया जा रहा है। आपसे यह हेतुक दर्शित करने को कि आपको 3 माह तक की अवधि के लिए क्यों नहीं सिविल कारागार सुपुर्द कर दिया जावे तथा लगान का 50 गुना तक की शास्ति क्यों न अधिरोपित कर दिया जाये।

यह भी ध्यान रखें कि उक्त तारीख समय तथा न्याय न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उक्त मामला

आपके मेरे हाजिरी में निर्णित किया जावेगा।

आज दिनांक 08.06.22 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नसीराबाद, जिला-अजमेर

FORM No. III

फर्द अहकाम

(धियम 20)

अदालत नायब तहसीलदार मुकाम नसीराबाद
पेटवार हल्का निजामपुरा नमा खुदाबू सैन D/o यम्पालाल सैन
किरम मुकदमा 91 LR Act नं 02 सन 2022 जाफ़ि निजामपुरा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागीत में जारी हुए
20/05/2022	<p>उकरोण थारा 91 LR Act के तहत दर्ज रजिस्ट्र होकर गैर सायल नो नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक- 23/05/2022 को पेश हो</p> <p>नायब तहसीलदार नसीराबाद</p>	
23/5/22	<p>पत्रावली पेश हुई। नोटिस तामिल /क्रम शामिल अ प्राप्त हुआ। पत्रावली पुनः 08/06/2022 को पेश हो।</p> <p>नायब तहसीलदार नसीराबाद</p>	
08/06/22	<p>पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया गैर सायल को पुनः नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 29/06/2022 को पेश हो।</p> <p>नायब तहसीलदार नसीराबाद</p>	
29/06/22	<p>पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को जारी नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुआ। जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली पुनः दिनांक 06/07/2022 को पेश हो।</p> <p>नायब तहसीलदार नसीराबाद</p>	

तारीख
हुवम

हुवम या कार्यवाही नय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अदालत जो इस
हुवम की तारीख
में जारी हुए

06/07/2022 पत्रावली पेश हुई। गैर साफल ने उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया कि ग्राम निजामपुरा के खं. सं. 1056 व 966 चरागाह भूमि की मैड पर ग्रामवासियों के कहने पर मैड बंदी हेतु मलबा पत्थर डाला है। अतिक्रमण की कोई प्रशा नहीं है। उक्त मलबा पत्थर को हटाने के लिए 7 दिवस का समय दिया जाए। समय दिया जाता है। पत्रावली पुनः दिनांक 13/07/22 को पेश है।

मुद्रा

JK

नायब तहसीलदार
नसीराबाद

13.07.22

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उधैके द्वारा खं. सं. के संसाधनों से मलबा पत्थर हटा लिया गया है। साक्ष्य स्वरूप मौ. डे के फौ. दौ. साफ पेश किए। जिस पर खं. सं. न्यायालय

नायब तहसीलदार द्वारा मौ. डे. निरीक्षण किया गया। मौ. डे पर खं. सं. 966 व 1056 की मैड पर डाला गया मलबा पत्थर हटा हुआ पाया गया। चूंकि गैर साफल द्वारा सन्वत् 2079 में अतिक्रमण किया है अतः लगान का 50 गुना शास्ति आरोपित की जाती है। पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर से क्रम कर दारिखत दफ्तर है।

JK
नायब तहसीलदार
नसीराबाद